न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

राजस्व अपील संख्या 15/2010

श्रीमति इन्द्रजीतकौर धर्म पत्नि श्री जे0एस0 सोखी निवासी 23/26 भगवानगंज अजमेर
.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमति मांगी पत्नि श्री श्रवण जाति गूजर निवासी माकडवाली तहसील अजमेर
2. श्री बीरम पुत्र श्रवण जाति गूजर निवासी माकडवाली तहसील अजमेर
3. श्री रामदेव सुपुत्र श्री श्रवण जाति गूजर निवासी माकडवाली तहसील अजमेर
4. सुवा सुपुत्री श्री श्रवण जाति गूजर निवासी माकड़वाली तहसील अजमेर
5. कमला सुपुत्री श्री श्रवण जाति गूजर निवासी माकडवाली तहसील अजमेर
6. शान्ति पुत्री श्री श्रवण जाति गूजर निवासी माकडवाली तहसील अजमेर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर .....रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज.भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम

उपस्थितः– 1 श्री नौरतमल जैन अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री घनश्याम सिंह लखावत अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स 2,3
3. श्री ओमप्रकाश गुर्जर राजकीय अभिभाषक

आदेश

दिनांक – 02.05.2025

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार अजमेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 830 दिनांक 17.06.2006 में पारित आदेश से रूष्ट होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मय धारा 5 मयाद अधिनियम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है।

अपील subject to limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट 1, 4 से 6 बावजूद उपस्थित नहीं। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता उपस्थित होने पर पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलांन्ट नें सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया की खसरा नम्बर 517 मिन जिसमें से रकबा 10 बीघा का खातेदार अजमेर पुत्र हरजी गूजर एवं रकबा 10–3–0 का खातेदार श्री श्रवण पुत्र हरजी जाति गूजर वर्तमान वकिंग जमाबंदी के अनुसार दर्ज है जो कि ग्राम माकडवाली तहसील अजमेर में स्थित है खसरा नम्बर 517 रकबा 20–3–0 जो कि ग्राम माकडवाली तहसील अजमेर में स्थित है के सदर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 क के तृतीय परन्तुक के अधीन उप नगर नियोजक अजमेर द्वारा 125 भूखण्ड कि जिन्हे विकय किये जाने की आदेश दिनांक 4.7.1992 के साथ संलग्न सूची के अनुसार व्यक्तियों को विकय किये जाने की अनुमति श्रीमान् अतिरिक्त कलक्टर भूमि

जिला कलक्टर
अजमेर

रूपान्तरण अजमेर के द्वारा आदेश क्रमांक/भू0रू0/92 दिनांक 4.7.1992 के अनुसार धारा 42 ए के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया कि जिसके अनुसार खसरा नम्बर 517 मि रकबा 20-3-0 की समस्त भूमि को खातेदार श्री रामचन्दर व श्रवण पिसरान हरजी जाति गुर्जर के द्वारा श्री कैदारनाथ उपाध्याय सुपुत्र श्री ज्योति स्वरूप उपाध्याय निवासी पालबीछला के पक्ष में मुख्त्यारनामा आम दिनांक 15.07.92 को निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाया गया जिसके अनुसार सम्पूर्ण विवादित भूमि को आदेश दिनांक 4.7.1992 के साथ संलग्न सूची के अनुसार अलग अलग भूखण्ड 125 भूखण्डो को अलग अलग पजीबद्व विक्रय पत्र के जरिये अलग अलग बेचान कर दी गई जिसके अनुसार अपीलार्थी के द्वारा जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 2.9.92 को खरीद किया गया तद्नुकूल विवादित भूमि खसरा नम्बर 517 मिन रकबा 10-3-0 की भूमि को न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (विशेषाधिकारी भूमि) नगर सुधार न्यास अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 182/03 नगर सुधार न्यास बनाम श्रवण पुत्र हरजी जाति गूजर के प्रकरण में आदेश दिनांक 21.2.2003 धारा 90 बी के आदेश की पालना में जरिये नामान्तकरण संख्या 122 दिनांक 5.4.2007 को ही नगर सुधार न्यास अजमेर के नाम नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया गया इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अजमेर के द्वारा विवादित भूमि का विरासत नामान्तकरण संख्या 830 दिनांक 17.6.2006 को रेस्पोन्डेंट संख्या 1 से 6 के नाम विधि के प्रतिकूल स्वीकर किया गया। उक्त अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी में दिनांक 16.02.2010 को मौके पर रेस्पोडेंट संख्या एक से सात के द्वारा विवादित भूमि को अन्य को बैचान हस्तान्तरण करने की धमकी दी गई एवं अपीलार्थीया के कब्जे में दखल करने के प्रयास किये जिसका विरोध करने पर रेस्पोन्डेट संख्या 1 से 7 के द्वारा अपीलार्थीया को दिनांक 16.2.2010 को ही यह बताया कि विवादित भूमि का विरासत नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 के पक्ष में दिनांक 17.6.2006 को ही स्वीकृत हो चुका है तथा विवादित भूमि पर जबरन कब्जा किया जावेगा एवं अन्य को बेचान की जावेगी इस प्रकार अपीलार्थीया को विवादित नामान्तकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16.02.2010 को ही हुई कि इस पर दिनांक 17.02.2010 को प्रमाणित प्रति की मांग की गई जो कि अपीलार्थीया को दिनांक 24.02.2010 को प्राप्त हुई तथा दिनांक 27-28 फरवरी 2010 एवं 1.3.2010 का राजकीय अवकाश होने तथा अपील से सबधित आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करने में एवं अपीलाधीन नामान्तकरण के सन्दर्भ में अधिवक्ता से कानूनी राय सलाह मसहरा किये जाने में दिनांक 25.02.2010 से दिनांक 26.03.2010 का समय एवं दिनांक 27 व 28 मार्च 2010 का राजकीय अवकाश होने से यह अपील जानकारी के अनुसार समयावधि में प्रस्तुत की गई। नाजानकारी का समय न्यायहित एवं कानूनन कन्डौन किये जाने योग्य है। अतः अपील मियाद अन्दर मानी जाकर गुणावगुण तथ्यों पर निर्णित करने के आदेश प्रदान करे।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने धारा 5 मयाद अधिनियम का जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थीगण का खसरा संख्या 517 की भूमि पर कभी कोई भौतिक धारण नही है प्रत्यर्थीगण भूमि पर खेत के रूप जो भूमि भौतिक रूप से है उस पर काश्त करते [illegible] खसरा गिरदावरी में भी काश्त प्रत्यर्थीगण की अंकित की जाती रही है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 6 अपीलार्थीगण को जानते भी नही है न कभी मिले, इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष असत्य कथन अंकित कर गलत अपील तथा वर्तमान प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किये है प्रार्थना पत्र में अंकित कारण किसी भी प्रकार से सदभाविक नही है अपितु न्यायालय को मुगालता देने के उदेश्य से अंकित किये है। ग्राम माकडवाली की कृषि

जिला कलक्टर
अजमेर

भूमि खसरा संख्या 517 की कुल राजस्व अभिलेख में 21–17–00 बीघा अंकित है जिसमें से वर्तमान प्रत्यर्थीगण के पति व पिता श्रवण का 1/2 हिस्सा था तथा शेष 1/2 हिस्सा रामचन्द का था तथा रामचन्द जो राजकीय सेवा में रहते हुए भूमि अपने नाम कराने का दोषी पाया गया, इस कारण जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण संख्या 25/95 में पारित निर्णय दिनांक 18.9.97 के द्वारा रामचन्द की भूमि को सिवायचक किये जाने बाबत आदेश पारित कर दिया तथा रामचन्द की भूमि बाबत आवंटन/नियमन निरस्त करने का आदेश पारित होने पर स्वयं को पिडित पक्षकार मान कर वर्तमान अपीलार्थी ने एक अपील राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसे दिनांक 21.12.98 को निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्व वर्तमान अपीलार्थी ने अपील एल.आर. संख्या 28/99 इन्द्रजीत कौर वगैरह बनाम सरकार वगैरह के नाम से द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की तथा राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2003 के द्वारा उक्त अपील अन्य अपीलो के साथ निरस्त कर दी गई तथा उक्त निर्णय अंतिम हो चुका है। जिसकी जानकारी स्वयं अपीलार्थी को न हो यह विश्वास करने योग्य नही है अतः स्पष्ट है कि प्रत्यर्थीगण जो ग्रामीण काश्तकारी पैशा व्यक्ति है उनकी भूमि हडप करने के उदेश्य से वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है तथा सारवान तथ्यों को छिपा कर अपने विक्रय पत्र के बारे में अंकन करते हुए प्रस्तुत की गई वर्तमान अपील सारहीन व भारहीन होने के साथ साथ मयाद बाहर भी है तथा वर्तमान अपीलकर्ता को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार भी नही है। स्पष्ट है कि वर्तमान अपीलकर्ता कोई सदभावी पक्षकार नही है अपितु न्यायालय के समक्ष सारवान तथ्य छिपाकर वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है तथा ऐसे पक्षकार के प्रकरण में विलम्ब को क्षमा किये जाने का कोई प्रावधान नही है क्योकि न्यायालय की उदारता सदभावी पक्षकार के पक्ष में हो सकती है ऐसा असत्य कथन जिनका असत्य होना पूर्णतया साबित हो, उसे विलम्ब का लाभ नही दिया जा सकता है। वर्तमान अपीलकर्ता ने इस तथ्य को भी छिपाया कि नगर सुधार न्यास अजमेर के नाम जो नामान्तकरण दिनांक 5.4.2007 को किया गया उक्त नामान्तकरण जिस आधार पर किया गया उक्त आदेश ही माननीय संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर द्वारा अपील संख्या 12/2007 मांगी बनाम प्राधिकृत अधिकारी तथा अपील संख्या 13/2007 सरकार बनाम प्राधिकृत अधिकारी के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 14.1.2010 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार नगर सुधार न्यास के नाम किये गये जिस नामान्तकरण के आधार पर जो अपील प्रस्तुत की गई वह आधार ही समाप्त हो चुका है तथा वर्तमान अपीलार्थी ने सारवान तथ्यो को छिपाते हुए अपील प्रस्तुत की है इस कारण वर्तमान अपील मयाद बाहर होने से खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि अपीलाट द्वारा अपील 04 वर्ष पश्चात भारी मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है, नामान्तकरण के तहत हक अधिकारो का निर्धारण नही किया जा सकता। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम अस्वीकार कर अपील अपीलांट खारिज फरमावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांटगण द्वारा तहसीलदार अजमेर द्वारा ग्राम माकडवाली के नामान्तरकरण संख्या 830 दिनांक 17.06.2006 को पारित आदेश से रूष्ट होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मय धारा 5 मयाद अधिनियम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है। पत्रावली के अवलोकन से

जिला कलक्टर
अजमेर

विवादग्रस्त भूमि पर पूर्वजो के समय से आज दिन तक अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का कब्जा होना एवं नामांतरकरण की जानकारी व खातेदारी में दर्ज होने की जानकारी अपीलांट्स को सदैव से रही है। वादग्रस्त नामान्तकरण श्रवण पुत्र हरजी गूजर के मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर विरासत नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट के नाम स्वीकृत किया गया है, तहसीलदार अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2006 के लगभग 4 वर्ष पश्चात् अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है। इतनी लम्बी अवधि का देरी के संबध में अपीलांट्स द्वारा कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। अपीलार्थी ने एक अपील राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसे दिनांक 21.12.98 को निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध वर्तमान अपीलार्थी ने अपील एल आर संख्या 28/99 इन्द्रजीत कौर वगैरह बनाम सरकार वगैरह के नाम से द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की तथा राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2003 के द्वारा उक्त निर्णय अंतिम हो चुका है जिसकी जानकारी स्वयं अपीलार्थी को है। चूंकि नामान्तरकरण एक समरी कार्यवाही है जिससे हक अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुतीकरण के 4 वर्ष के विलम्ब के लिये कोई उचित व ठोस कारण प्रदर्शित नही किया है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में भी अपीलार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद बाहर होने की वजह से स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं है। परिणामतः उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण अनुसार मूल अपील के साथ संलग्न धारा–5 मयाद अधिनियम अस्वीकार कर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 खारिज की जाती

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर